प्रेस नोट थाना अफजलगढ

थाना अफजलगढ क्षेत्रान्तर्गत हुई महिला की हत्या का अनावरण, अभियुक्त नफीस घटना में प्रयुक्त ट्रक तथा लोहे की रॉड सहित गिरफ्तार।

दिनांक 18.09.2021 को थाना अफजलगढ़ क्षेत्रान्तर्गत एनएच – 74 पर ग्राम जिकरी वाला के निकट सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था, जिसने नीले रंग की जीन्स तथा लाल रंग का रंगीन टॉप पहना था, तथा बांए हाथ पर अंग्रेजी में Parabdeep गुदा हुआ था। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम तथा डॉग स्कवायड द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस द्वारा की गयी जांच में घटनास्थल से पहले तथा बाद में टायरों के रगडने/घसीटने के निशान थे। पुलिस द्वारा मृतका की शिनाख्त के अथक प्रयास किये गये तो उसकी शिनाख्त मनप्रीत कौर पत्नी सुखवीर सिंह नि0ग्रा0 भिकमपुरी थाना बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर(उत्तराखण्ड) के रुप में हुई। मृतका के पति की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 275/21 धारा – 302 भादवि बनाम नफीस अहमद पुत्र अमीर अहमद नि0ग्रा0 मनियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

महिला सम्बन्धी अपराध के दृष्टिगत मेरे द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए थाना अफजलगढ पुलिस को घटना में संलिप्त अभियक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना अफजलगढ पुलिस को निर्देशित किया गया।

मृतका के पति सुखवीर सिंह द्वारा बताया कि उसकी शादी मनप्रीत के साथ 08 वर्ष पूर्व हुई थी, तथा उनकी एक पुत्री परबदीप कौर है। उसकी पत्नी काशीपुर में एक कपडे की दुकान पर कार्य करती थी, इसी दौरान उसके प्रेम सम्बन्ध नफीस अहमद उपरोक्त से हो गये तथा पिछले 02-03 सालो से उसी के साथ रहती थी। जानकारी में आया है कि कुछ समय से नफीस और मनप्रीत में अनबन चल रही थी, तथा नफीस द्वारा ही उसकी हत्या की गयी है। दिनांक 19.09.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के पर्यवेक्षण में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त नफीस उपरोक्त को समय 14.15 बजे द्वारिकेश शुगर मिल के सामने गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि उसके तथा मनप्रीत के करीब 03-04 वर्ष से प्रेम सम्बन्ध थे। पिछले कुछ समय से मनप्रीत उसकी पत्नी को छोडकर तथा सामाजिक रुप से खुद को साथ रखने की जिद कर रही थी, जिसे लेकर अनबन चल रही थी। मनप्रीत लगातार उसको मुकदमें में फंसाने की धमकी दे रही थी। इसी से तंग आकर दिनांक 16/17.09.2021 की रात्रि में वह मनप्रीत को काशीपुर छोडने के बहाने से अपने साथ ट्रक में ले गया तथा रास्ते में उसके सिर में लोहे की रॉड मार हत्या कर दी तथा पहचान छिपाने व घटना को सडक दुर्घटना का रुप देने के लिये मनप्रीत के शव पर ट्रक चढाकर पहियों से आगे-पीछे कर शव को क्षत-विक्षत कर दिया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त ट्रक तथा लोहे की रॉड बरामद की गयी तथा अभियोग में धारा – 201 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नफीस अहमद पुत्र अमीर अहमद निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः-

1.एक ट्रक संख्या UP20AT3290 2.एक लोहे की रॉड (आलाकत्ल) 3.मृतका का मोबाइल फोन (रियल-मी C-2) 4.मृतका का आधार कार्ड

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना अफजलगढः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह 2.व0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार शर्मा 3.उ0नि0 श्री प्रवीण मलिक 4.रि0कां0 2284 शुभम पंवार थाना अफजलगढ जिला बिजनौर 5. रि0कां0 1975 नासिम

<u>थाना शिवालाकलां</u>:– आज दिनांक 20.09.2021 को थाना शिवालाकला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1– मनोज पुत्र राजवीर 2– राजवीर पुत्र घसीटा निवासी ग्राम सोनगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहारा:– आज दिनांक 20.09.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 1– रितिक पुत्र प्रदीप निवासी हुसैनपुर थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा 2– कु0 कौशल पुत्री तुलाराम निवासी ग्राम मंगलखेडा थाना स्योहारा 3– फराना पत्नी वकील अहमद निवासी कस्बा/थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 513/21 धारा 363/120 बी भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नगीना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाईकिल सहित 01 शातिर चोर गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर द्वारा अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगीना व प्रभारी निरीक्षक नगीना के कुशल पर्यवेक्षण मे आज दिंनाक 20.09.2021 को थाना नगीना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बदर मुनिम चौक नगीना से अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ रवि पुत्र राजू कुमार मूल निवासी ग्राम डिवहा थाना मडुआडीह जिला वाराणसी(बनारस) हाल नि0 ग्राम हीरावाली थाना नगीना बिजनौर से थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0स0 253/2021 धारा 379 भादवि मे दिनांक 26.06.2021 को धामपुर हरेवली मार्ग से समय करीब 19.00 बजे चोरी गयी मोसा0 स्पलेण्डर प्लस न0 UP 20BV5629 चैसिस न0 MBLHAW114LHKD1009 सहित समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ रवि उपरोक्त उक्त चुराई गयी मोसा0 स्पलेण्डर प्लस न0 UP20BV5629 चैसिस न0 MBLHAW114LHKD1009 की नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट UP20AL5629 लगाकर प्रयोग कर रहा था ।

अभियुक्तगणो से बरामदगी का विवरण

1. मु0अ0स0 253/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मो0सा0

गिरफ्तार अभियुक्त को नाम व पता

1.राकेश कुमार उर्फ रवि पुत्र राजू कुमार मूल निवासी ग्राम डिवहा थाना मडुआ डी जनपद वारणसी (बनारस) हाल निवासी ग्राम हीरावाली थाना नगीना जनपद बिजनौर उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी टीम

1. उ0नि0 श्री करमजीत सिंह
2. उप नि0 श्री योगेश कुमार
3. का0 389 कृष्णपाल
4. का0 355 धर्मेन्द्र
5. का0 1221 आशीष कुमार
6. का0 2044 अभिषेक ।

थाना बढापुर:– आज दिनांक 20.09.2021 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखदेव सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी ग्राम कूआखेडा खद्री थाना बढापुर जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 192/21 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहारा:– आज दिनांक 20.09.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त सुधीर कुमार पुत्र नत्थु सिंह निवासी ग्राम लंबाखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना चांदपुर:– आज दिनांक 20.09.2021 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम नारनोर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद बिजनौर

मिशन शक्ति अभियान फेस–03

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना रेहड पुलिस द्वारा जे0एस0 करेमोतर स्कूल मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना कोतवाली शहर की एक्टी रोमियो टीम द्वारा महिलाओ/बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा ग्राम अलीपुरा मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना हीमपुरदीपा पुलिस द्वारा ग्राम माहू मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा ग्राम अकबराबाद मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी स्वाभिमान के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस–03 के अन्तर्गत को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा ग्राम बूढपुर मैनसिंह मे बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।